

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), उदयपुर


// कार्यालय आदेश //

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से प्राप्त निर्देशानुसार निम्नांकित कार्मिकों को स्थानान्तरण इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में तत्काल प्रभाव से किये जाते है। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करा पालना सुनिश्चित करे।

क.स.	नाम	पद	कहां से	जिला	कहां को	जिला
1	महेन्द्र सिंह चौधरी	Jr. Asstt	राउमावि लखावली बडगांव, उदयपुर	Udaipur	कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय उदयपुर	Udaipur

संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करे।

- 1 राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन / दोनो पेरों से दिव्याग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीविक्षाधीन काग्निक एवं सेवा निवृत्ति में एक
- 2 वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराया जावे।
- 3 प्रोबेशन ट्रेनी अवधि के कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करावें।
- 4 टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही किया जावे।




जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर

क्रमांक: जिशिअ/मा./मुख्यालय/उदय/संस्था-1/फा-स्था/2019/1804 दिनांक 29.9.19

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी _____
5. संबंधित संस्थाप्रधान _____
6. संबंधित श्री/श्रीमती _____



जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक मुख्यालय उदयपुर